

प्रेषक,

एचओपीओ सिंह
निराध सचिव
3000 शरीला

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3000, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

संलग्नक : दिनांक : 20 अगस्त, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1017/179/10/छ:/विविध/आसरा/तकनीकी (हमीरपुर-शरीला-301) दिनांक 12 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-हमीरपुर नगर की निकाय-शरीला की 163 इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹0 829.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹0 414.585 लाख (रुपये चार करोड़ चौदह लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)


क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि (संलग्न चार्जज एवं लबर सेट सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर/शरीला	301	1531.16	163	829.17	414.585
योग				163	829.17	414.585

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रसंगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अनुयाय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(Handwritten signature)

3. प्रयोजनात्मक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यक समुच्चय दस्तावेज विस्तृत प्राधिकरण/कार्य क्षेत्र के अधिकारी से स्वीकृत कराया जायेगा साथ ही नियमानुसार सनराज आवस्यक दस्तावेज आवस्यक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रमाण/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्णीत शर्त/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनावन्तगत परिवर्तन में मानकीकृत शर्त, मानावली एवं भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमज्ज नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उरी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिवर्तन पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एवमेंटेशन अनुमज्ज नहीं होगा।
6. सूझ/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य तौर से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्य की दिरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझ/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उत्पन्ननीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इतैमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इतके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तककीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इत सिपति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाता अतिवाद होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझ/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिसंघित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिचाली का सधम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रयत होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उ.के माध्यम से निर्माण इ.के को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रयत हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30पड0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिद्वस्तारोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30पड0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाजवर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।


13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से संचरित का बैंक/हाउसिंग/डिमांडिबल सविन व पीएमएआर में जमा करे जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रथमतः आहरण/भुगतान के पूर्व यथाविधान केन्द्र व राज्य के कर्तव्य को रक्षित की जाती सम्बन्धी अधिवाच विधिक प्रतिक्रियाओं के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलक्टर अवश्य कर दिया जाय। योजनागतगत प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सामेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपरोक्त प्रमाण पर शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओएओ, लखनऊ आहरण की वषोन्त पर अपने तर्कों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुकूल (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित सूडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययान में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृद्ध निर्माण कार्य" के नामे द्वारा जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-8-2286/दस-2015 दिनांक 14 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सचिव,

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-770/2015/1542(1)/69-1-15, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नाचडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय जिधि लेखा परीक्षा विभाग, उओएओ, छठवां तल, संगम प्लेरा, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हमीरपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक बैंक मास्टर, सूडा को विभागीय बैंक सॉड पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।